



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1905]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 30, 2011/आश्विन 8, 1933

No. 1905]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 2011/ASVINA 8, 1933

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2011

का.आ. 2295(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

30 सितम्बर, 2011

परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (कर्नाटक) संशोधन आदेश, 2011

राष्ट्रपति, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात्, परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (कर्नाटक) आदेश, 1951 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती हैं, अर्थात् :—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (कर्नाटक) संशोधन आदेश, 2011 है।
2. परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (कर्नाटक) आदेश, 1951 में,—
(क) पैरा 2 की सारणी में,—

(i) स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र शीर्षक के अधीन,—

- (अ) मद 1 के स्तंभ 2 में, “बीदर, गुलबर्ग, रायचूर और कोपला बेलारी जिले, जिसके अन्तर्गत दावणगेरे जिले का हरपनहल्ली ताल्लुक भी है”, प्रविष्टि के स्थान पर, “बीदर, गुलबर्ग, यादगीर, रायचूर, कोपला और बेलारी जिले, जिसके अन्तर्गत दावणगेरे जिले का हरपनहल्ली ताल्लुक भी है” प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (आ) मद 4 के स्तंभ 2 में, “चित्रदुर्ग, दावणगेरे (चन्नागिरी, होन्नाली और हरपनहल्ली ताल्लुकों को छोड़कर), तुमकूर और कोलार जिले,” प्रविष्टि के स्थान पर, “चित्रदुर्ग, दावणगेरे (चन्नागिरी, होन्नाली और हरपनहल्ली ताल्लुकों को छोड़कर), तुमकूर, कोलार और चिकबल्लापुर जिले,” प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (इ) मद 7 के स्तंभ 2 में, “बंगलौर और बंगलौर ग्रामीण जिले”, प्रविष्टि के स्थान पर, “बंगलौर, बंगलौर ग्रामीण और रामनगर जिले” प्रविष्टि रखी जाएगी;

(ii) शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्र शीर्षक के अधीन,—

- (अ) मद 1 के स्तंभ 2 में, “बीदर, गुलबर्ग, रायचूर और कोपला और बेलारी जिले, जिसके अन्तर्गत दावणगेरे जिले का हरपनहल्ली ताल्लुक भी है”, प्रविष्टि के स्थान पर, “बीदर, गुलबर्ग, यादगीर, रायचूर, कोपला और बेलारी जिले, जिसके अन्तर्गत दावणगेरे जिले का हरपनहल्ली ताल्लुक भी है” प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (आ) मद 4 के स्तंभ 2 में, “चित्रदुर्ग, दावणगेरे (चन्नागिरी, होन्नाली और हरपनहल्ली ताल्लुकों को छोड़कर), तुमकूर और कोलार जिले,” प्रविष्टि के स्थान पर, “चित्रदुर्ग, दावणगेरे (चन्नागिरी, होन्नाली और हरपनहल्ली ताल्लुकों को छोड़कर), तुमकूर, कोलार और चिकबल्लापुर जिले,” प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (इ) मद 7 के स्तंभ 2 में, “बंगलौर और बंगलौर ग्रामीण जिले”, प्रविष्टि के स्थान पर, “बंगलौर, बंगलौर ग्रामीण और रामनगर जिले” प्रविष्टि रखी जाएगी;

- (iii) स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र शीर्षक के अधीन,—
- (अ) मद 2 के स्तंभ 2 में "गुलबर्ग जिला", प्रविष्टि के स्थान पर, "गुलबर्ग और यादगीर जिले" प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (आ) मद 17 के स्तंभ 2 में, "बंगलौर ग्रामीण जिला", प्रविष्टि के स्थान पर, "बंगलौर ग्रामीण और रामनगर जिले" प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (इ) मद 18 के स्तंभ 2 में, "कोलार जिला," प्रविष्टि के स्थान पर, "कोलार और चिकबल्लापुर जिले," प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (ख) पैरा 3 में, "1 सितम्बर 1998" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "1 अप्रैल, 2011" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

राष्ट्रपति

[फा. सं. एच-11027(1)/2009-विधायी II]

एन. के. नम्पूतिरी, अपर सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2011

S.O. 2295(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

30th September, 2011

THE DELIMITATION OF COUNCIL CONSTITUENCIES (KARNATAKA) AMENDMENT ORDER, 2011

In exercise of the powers conferred by section 12 of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the President, after consulting the Election Commission, is pleased to make the following order further to amend the Delimitation of Council Constituencies (Karnataka) Order, 1951, namely:—

1. This Order may be called the Delimitation of Council Constituencies (Karnataka) Amendment Order, 2011.
2. In the Delimitation of Council Constituency (Karnataka) Order, 1951,—

(a) in paragraph 2, in the TABLE,—

(i) under the heading Graduates' Constituencies,—

- (A) in item 1, in column 2, for the entry "Bidar, Gulbarga, Raichur and Koppal districts and Bellary district including Harapanahalli taluk of Davanagere district", the entry "Bidar, Gulbarga, Yadgir, Raichur, Koppal and Bellary districts including Harapanahalli taluk of Davanagere district" shall be substituted;
- (B) in item 4, in column 2, for the entry "Chitradurga, Davanagere (excluding taluks of Channagiri, Honnali and Harapanahalli), Tumkur and Kolar districts", the entry "Chitradurga, Davanagere (excluding taluks of Channagiri, Honnali and Harapanahalli), Tumkur, Kolar and Chikbalappur districts" shall be substituted;
- (C) in item 7, in column 2, for the entry "Bangalore and Bangalore Rural districts", the entry "Bangalore, Rural and Ramanagara districts" shall be substituted;

(ii) under the heading Teachers' Constituencies,—

- (A) in item I, in column 2, for the entry "Bidar, Gulbarga, Raichur and Koppal districts and Bellary district including Harapanahalli taluk of Davanagere district", the entry "Bidar, Gulbarga, Yadgir, Raichur, Koppal and Bellary districts including Harapanahalli taluk of Davanagere district" shall be substituted;
- (B) in item 4, in column 2, for the entry "Chitradurga, Davanagere (excluding taluks of Channagiri, Honnali and Harapanahalli), Tumkur and Kolar districts", the entry "Chitradurga, Davanagere (excluding taluks of Channagiri, Honnali and Harapanahalli), Tumkur, Kolar and Chikbalappur districts" shall be substituted;
- (C) in item 7, in column 2, for the entry "Bangalore and Bangalore Rural districts", the entry "Bangalore, Bangalore Rural and Ramanagara districts" shall be substituted;

(iii) under the heading Local Authorities' Constituencies,—

- (A) in item 2, in column 2, for the entry "Gulbarga district", the entry "Gulbarga and Yadgir districts" shall be substituted;
- (B) in item 17, in column 2, for the entry "Bangalore Rural district", the entry "Bangalore Rural and Ramanagara districts" shall be substituted;
- (C) in item 18, in column 2, for the entry "Kolar district", the entry "Kolar and Chikbalappur districts" shall be substituted;

- (b) in paragraph 3, for the figures, letters and words "1st day of September, 1998", the figures, letters and words "1st day of April, 2011" shall be substituted.

President

[F. No. H-11027(1)/2009-Leg. II]

N. K. NAMPOOTHIRY, Addl. Secy.